न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-546/2021
अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

अंजर, पिता-समीम
सा0-नरहट्टा, वार्ड नं0-13
थाना-पलासी, जिला-अररिया
(मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR11AJ7603
चैचीस संख्या-MBLJARO10H9L14396,
ईंजन नंबर-JAO6EHH9L07978 के मालिक) ....विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
08.04.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1000/मद्यनिषेध, दिनांक-17.10.2020) के आलोक में पलासी थाना कांड संख्या 277/2020, दिनांक-30.08.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR11AJ7603, चैचीस संख्या-MBLJARO10H9L14396, ईंजन नंबर JAO6EHH9L07978 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। विपक्षी वाहन मालिक को हर्जाना 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। (2) विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1000/मद्यनिषेध, दिनांक-17.10.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि सहायक अवर निरीक्षक, पलासी दिनांक 30.08.2020 को समय करीब 9.00 बजे सुबह मोहर्रम पर्व 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी में सशस्त्र बल के गृह रक्षक 6232 संपत लाल ठाकुर, गृ0र0 4349 जितन लाल मंडल, गृ0र0 7294 देव नारायण गोसाई के साथ प्रस्थान किया। गस्ती के क्रम में समय लगभग 14.00 बजे करीब मोहनियाँ मदरसा चोक पर था। उन्हें गुप्त सुचना मिली कि एक व्यक्ति मोटर साईकिल के पीछे प्लास्टीक के बोरा में नशीली दवा लेकर जोकीहाट के तरफ से पलासी की ओर आ रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बल के साथ प्रस्थान किये। मैना-पकड़ी के मोड़ के पास पहुँचने पर देखा गया कि सामने से एक मोटर साईकिल आ रही है, जिसे रोकने का ईशारा किया। वह रोड की तरफ घुम गया। पकड़ी-मैना के बीच पक्की सड़क पर संतुलन बिगड़ जाने पर विपक्षी मोटर साईकिल लेकर गिर गया तथा भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। दो स्वतंत्र साक्षी-1. दुर्गानन्द यादव, पिता-श्रवण यादव एवं 2. चंदन यादव, पे0-श्यामलाल यादव, सा0-पोठिया, वार्ड नं0-05, थाना-पलासी, जिला-अररिया के समक्ष मोटर साईकिल पर बंधे बोरा का तलाशी लिया गया। बोरा में कुल-90 शीशी इसकफ सिरप मिला तथा मोटर साईकिल की डिक्की से कुल-19 शीशी ईसकफ सिरप कुल-109 शीशी प्रत्येक शीशी 100 मिली लीटर कुल-10 लीटर 900 मिली लीटर	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
08.04.2021	बरामद हुआ। दोनों साक्षी के समक्ष विधिवत् जब्ती सूची तैयार कर जब्त कोडिनयुक्त नशीली दवा एवं मोटर साईकिल हीरो ग्लेमर चेचिस नं0-MBLJARO10H9L14396, ईंजन सं0-JA06EHH9L07978 को स्वतंत्र साक्षी के समक्ष जब्त किया गया। अधिसूचना संख्या-11/अधि.कार्या.01-06/2016/4027, दिनांक-18.10.2016 के अनुसार बिहार राज्य सरकार Codein/ Dextropropoxyphene औषधीय वाले दवाओं अथवा औषधीय निर्मित को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रयोजनार्थ "मादक द्रव्य" (Intoxicants)" अधिसूचित है। विपक्षी के विरूद्ध पलासी थाना काड संख्या-277/2020, दिनांक-30.08.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल का उपयोग भारी मात्रा में अवैध मादक द्रव्य को ढ़ोने में किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम अधिवक्ता के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1000/मद्यनिषेध, दिनांक-17.10.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि पलासी थाना कांड संख्या-277/2020, दिनांक-30.08.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद मादक द्रव्य एवं मोटर साईकिल को सहायक अवर निरीक्षक, पलासी थाना द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल का उपयोग कुल-10.900 लीटर कोडिनयुक्त कफ सिरप, जो मादक द्रव्य (Intoxicating drug) है, को बिना किसी वैध कागजात के व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त कफ सिरप एवं मोटर साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त मोटर साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। विपक्षी का कारण-पृच्छा दिनांक-06.03.2021 मनगढ़ंत एवं गलत है तथा अस्वीकृत होने योग्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। पलासी थाना कांड संख्या-277/2020, दिनांक-30.08.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल पंजीयन संख्या-BR11AJ7603, चैचीस संख्या- MBLJARO10H9L14396, ईजन नंबर-JAO6EHH9L07978 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।	

अधिहरण वाद संख्या-546/2021

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
08.04.2021	विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 1178 विधि, अररिया, दिनांक 22.4.2021 प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। न्यायालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता * अररिया बिहार * समाहर्त्ता, अररिया	